न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रींगस, जिला सीकर।

पीठासीन अधिकारी- ममता रोहिला, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण सीआईएस सं.- 01/16 (05/16)

प्राथमिकीकर्ता का नाम	बाबूलाल पुत्र मोतीराम उम्र 60 साल निवासी लाखनी थाना रींगस जिला सीकर।
अभियुक्तगण का नाम एवं पता	1. प्रहलादराम पुत्र हनुमान उम्र 70 साल, 2. श्रवणीदेवी पत्नी प्रहलादराम उम्र 65 साल, निवासीगण लाखनी थाना रींगस जिला सीकर।
अपराध अन्तर्गत धारा	341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता
अभियुक्तगण का कथन	आरोप अस्वीकार, अन्वीक्षा चाही
प्राथमिकी संस्थित करने की दिनांक	22.12.2015
अभियोजन साक्षी	पी ड 1 प्रेमसिंह, पी ड 2 बाबूलाल, पी ड 3 महावीरप्रसाद, पी ड 4 भंवरीदेवी, पी ड 5 सुभाष, पी ड 6 राजेश, पी ड 7 सुनिता, पी ड 8 मनीराम, पी ड 9 कुलदीप, पी ड 10 देवेन्द्र, पी ड 11 रणजीत, पी ड 12 डा. शैलेन्द्र, पी ड 13 प्रेमदेवी
अभियोजन दस्तावेज	नक्शा मौका प्रदर्शपी 1, चाक एफआईआर प्रदर्शपी 2, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 3, चोट प्रतिवेदन सुभाष, सुनिता प्रदर्शपी 3 व 4, पुलिस बयान मनीराम प्रदर्शपी 4, पुलिस बयान कुलदीप प्रदर्शपी 5, पुलिस बयान देवकरण प्रदर्शपी 7, पुलिस बयान रणजीत प्रदर्शपी 8, एक्सरे कवरनोट प्रदर्शपी 12 व 13, चोट प्रतिवेदन भंवरीदेवी प्रदर्शपी 14, एक्सरे कवरनोट प्रदर्शपी 15, चोट प्रतिवेदन प्रेम प्रदर्शपी 16
अभियुक्तगण साक्षी	कोई नहीं

निर्णय रिजर्व करने की दिनांक	05.03.2026
निर्णय दिनांक	18.03.2026
अन्तिम निर्णय	18.03.2026
अधिवक्ता राज्य की ओर से	श्री सहायक लोक अभियोजक
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री किशनसिंह नेहरा

-- नि र्ण य -- दि नां क-18.03.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.12.2015 को परिवादी बाबूलाल ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 21.12.2015 को समय रात्रि के करीब नौ बजे वह अपने परिवार सहित घर पर था तो प्रहलाद, राकेश, श्रवणीदेवी, लक्ष्मी एक राय होकर जबरन उसके आवासीय मकानात में घुसकर उनको जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला कर दिया तथा आते ही प्रहलाद व राकेश ने उसे पलंग के नीचे डालकर मारपीट की। बार घोडा करने पर उसकी पत्नी व बच्चे भागकर आये तो राकेश ने उसकी पुत्री सुनिता के सरिये की दाहिने हाथ पर चोट मारी। प्रहलाद ने भंवरीदेवी के लाठी की दाहिने पैर, रीड की हड्डी, सिर पर चोट मारी एवं श्रवणीदेवी व लक्ष्मी ने उसके पुत्र सुभाष व पुत्री प्रेम के सिर, हाथ व पैरों पर चोटें मारी। बारघोडा सुरकर पडौसियों ने आकर छुडाया। जाते समय श्रवणीदेवी व लक्ष्मी उसकी पत्नी का मंगलसूत्र तोडकर ले गयी। सभी के गम्भीर चोटें आई है, रात्रि में इलाज करवाने के कारण रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं आ सका, इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना रींगस ने मुकदमा नम्बर 406/2015 अन्तर्गत धारा 341, 323, 451 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में आरोप पत्र पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्व उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्तगण को धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप विहित प्रारूप में विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्तगण ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष ने गवाह पी ड 1 से पी ड 13 को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 लगायत 16 दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लिये गये, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया,

प्रकरण में उसे झूंठा फसाया जाना व स्वयं का निर्दोष होना कथन किया है। साक्ष्य सफाई में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

6. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रष्न यह है कि-

1. आया अभियुक्तगण ने दिनांक 21.12.2015 को समय रात्रि करीब 9.00 बजे या इसके आसपास मौजा लाखनी में सह अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी/मजरूबान बाबूलाल व अन्य को अपने गतंव्य स्थान की ओर जाते हुये को रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा मजरूबान सुभाष, सुनिता, भंवरीदेवी व प्रेम के साथ कुंद हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण व मजरूबान सुभाष व सुनीता के गम्भीर उपहति कारित की। एतद्द्वारा अभियुक्तगण ने धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?

2. यदि हां तो अभियुक्तगण को क्या दण्डादेश दिया जाना उचित होगा?

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस तर्क दिये है कि हस्तगत प्रकरण अभियोजन अपने पक्ष में संदेह से परे प्रमाणित करवाने में असफल रहा है। प्रकरण में मुख्य व महत्वपूर्ण साक्षीगण ने घटना की ताईद न्यायालय बयानों में नहीं की है। प्रकरण में अधिकांश गवाह हितबद्ध है जिनके बयानों में परस्पर विरोधाभास है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है उसे इस प्रकरण में झूंठा संलिप्त किया गया है। परिवादी द्वारा घटना की रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाई गई है जिसका कोई सन्तोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में नक्शे मौके के गवाहान ने नक्शे मौके को साबित नहीं किया है। गवाहान के बयानों में तात्विक विरोधाभास है। अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध आरोपित अपराधों से जोड़ने वाली कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, प्रकरण में सन्देह उत्पन्न होता है। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुये तर्क दिया है कि अभियोजन की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जावे।

9. उभय पक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली का पुनः आद्योपांत अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अनुशीलन व परिशीलन किया गया।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से हस्तगत प्रकरण में आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य की विवेचना की जाए तो उक्त आरोपों के सम्बन्ध में **परिवादी बाबूलाल** रिपोर्टकर्ता न्यायालय में **पी ड 2** के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक

21.12.2015 को शाम के नौ साढे नौ बजे वह अपने घर पर था तो प्रहलाद, श्रवणी, लक्ष्मी व राजेश आये। इनके पास सरिया व लाठी थे। इन सभी ने लात घूसों से उसके साथ मारपीट की। आवाज सुनकर उसकी पत्नी, लडका व लडकी आये जिन्होंने बीच बचाव किया। इन लोगों ने उसकी पत्नी, लडका व लडकी के साथ भी मारपीट की थी। मन्नीनाम, भगवानाराम व अन्य ने आकर बीच बचाव किया था। जाते समय ये लोग उसकी पत्नी का मंगलसूत्र ले गये। घटना की रिपोर्ट प्रदर्शपी 3, चाक एफआईआर प्रदर्शपी 2 व नक्शा मौका प्रदर्शपी 1 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

11. मामलें की मजरूबा **भंवरीदेवी पी ड 4** ने कथन किया कि चार साल पूर्व वह अपने घर पर थी तो शाम के लगभग 09 बजे राजेश, प्रहलाद, श्रवणी व लक्ष्मी सरिया व लाठी लेकर आये। उसका पति बाबूलाल व बच्चे घर पर थे। इन लोगों ने उसके, उसके पति व बच्चों के साथ मारपीट की थी। उसकी बच्ची और बच्चे का हाथ फ्रेक्चर हो गया था। मारपीट में उसका मंगलसूत्र भी गिर गया था। उसका मेडीकल हुआ था।

12. अन्य मजरूब व मौके का साक्षी **पी ड 5 सुभाष** ने कथन किया कि दिनांक 21.12.2015 को रात के नौ बजे घर पर था तो उसके पिताजी के चिल्लाने की आवाज आई। वह दौडकर गया तो देखा कि राजेश, प्रहलाद, श्रवणीदेवी, लक्ष्मी उसके पिताजी के साथ मारपीट कर रहे थे। बीच बचाव में उसके, उसकी बहन व मम्मी के भी चोटें आई थी। झगडा आपसी रंजिश के कारण हुआ था। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्शपी 1 बनाया था। उसकी चोटों का मुआयना हुआ चोट प्रतिवेदन प्रदर्शपी 3 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

13. मौके का साक्षी **पी ड 6 राजेश** ने कथन किया कि दिनांक 21.12.2015 को शाम के नौ बजे उनके घर की बात है। विकास ने आकर बोला कि मम्मी और पापा को राजेश, प्रहलाद, लक्ष्मण और श्रवणीदेवी मार रहे थे। उनके पास लडकी व सरिया था। भंवरीदेवी, सुभाष, प्रेम व सुनिता के चोट लगी थी।

14. मामलें की मजरूबा व मौके की साक्षी **पी ड 7 सुनिता** ने बयान दिया कि दिनांक 21.12.2015 को रात के नौ बजे घर की बात है। प्रहलाद, उसकी पत्नी श्रवणीदेवी, पुत्र कबूतर व पुत्री लक्ष्मी आये और उसके पापा से मारपीट करने लगे। पापाजी ने बार घोडा किया तो वे छुडाने गये तो उनके साथ भी मारपीट की थी। उसका हाथ पर फ्रेक्चर हो गया था। हम सभी के साथ मारपीट की थी। उसकी चोटों का मेडीकल हुआ जो प्रदर्शपी 4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

15. मौके की साक्षी व मजरूबा **प्रेमदेवी पी ड 13** ने बयान दिया कि दिनांक 21.12.2015 को शाम करीब 9.00 बजे घर की बात है। प्रहलाद, राजेश, श्रवणीदेवी, लक्ष्मी ने आकर उसके पापा के साथ सरिया व लाठी से मारपीट की थी। उसने, उसकी बहन

व मम्मी ने बीच बचाव करवाया तो उनके साथ भी मारपीट की थी। उनके पडौसी भगवानाराम, देवकरण ने भी बीच बचाव करवाया था। उसकी चोटों का मेडीकल हुआ था।

16. उक्त गवाहान परिवादी, मजरूबान व मौके के अहम व महत्वपूर्ण साक्षी है जिन्होंने अभियुक्तगण द्वारा परिवादी/मजरूबान बाबूलाल व अन्य को रोककर सदोष अवरोध कारित करते हुये मजरूबान सुभाष, सुनिता, भंवरीदेवी व प्रेमदेवी के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति व मजरूबा सुभाष व सुनिता के गम्भीर उपहति कारित करने के तथ्य की पुष्टि अपने अपने न्यायालय बयानों में की है। उक्त गवाहान से विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षा की गई है प्रतिपरीक्षा के दौरान परिवादी/मजरूबान व अन्य मौके के गवाहान से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों पर सन्देह उत्पन्न होता हो। इस प्रकार परिवादी व गवाहान के मुख्य परीक्षा में दिये गये कथन अखण्डित रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा मजरूबान के साथ मारपीट कर चोटें पहुंचाने के तथ्य की पुष्टि होती है।

17. **पी ड 1 प्रेमसिंह** ने बयान दिया कि मु.नं. 406/15 की तफतीश प्राप्त होने पर गवाहान के बयानात उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्शपी 1 बनाया। मजरूबान का मेडीकल एक्सरे करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। चाक एफआईआर प्रदर्शपी 2 पर उसके हस्ताक्षर है। बाद तफतीश अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एसएचओ को पेश की थी। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया कि थाने में परिवादी बाबूलाल द्वारा तहरीरी रिपोर्ट पेश की उसमें कहीं पर भी राकेश का नाम अंकित नहीं है। यह स्वीकार किया कि उसने प्रकरण में मारपीट केवल थाप मुक्कों से होना पाया है। यह स्वीकार किया कि तहरीरी रिपोर्ट में बाबूलाल ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बताया कि जिसने घटना देखी हो। यह स्वीकार किया कि प्रकरण संख्या 408/15 की तफतीश भी उसके द्वारा की गई थी। उक्त प्रकरण में घटना रास्ते में घटित हुई थी तथा इसके क्रोस केस में घटना आरोपी प्रहलाद के घर पर हुई थी। यह स्वीकार किया कि उसने बाबूलाल के मकान के अन्दर कोई मारपीट होना नहीं पाया। यह साक्षी प्रकरण का अनुसंधानकर्ता है जिसने स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान से अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने के तथ्य की पुष्टि की है।

18. **पी ड 3 महावीरप्रसाद** ने बयान दिया कि नक्शा मौका प्रदर्शपी 1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। यह साक्षी नक्शा मौका का साक्षी है जिसने स्वयं के समक्ष घटना स्थल पर बनाये गये नक्शे मौके को अपने हस्ताक्षर से साबित किया है।

19. **पी ड 8 मनीराम** ने बयान दिया कि दिनांक 21.12.2015 को लाखनी गांव में प्रहलादजी मास्टर के घर के पास हो हल्ला सुना था। यह साक्षी हालांकि पक्षद्रोही घोषित हुआ है लेकिन इस गवाह ने हो हल्ला सुनना स्वीकार किया है।

20. **पी ड 9 कुलदीप** ने बयान दिया कि पांच छह साल पूर्व उसने सुना था कि प्रहलाद मास्टर व बाबूलाल के परिवारों के बीच में लडाई हुई थी। हालांकि यह साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुआ है लेकिन इस गवाह ने परिवादी व अभियुक्त पक्ष के मध्य लडाई होने की बात सुनना स्वीकार किया है।

21. **पी ड 10 देवेन्द्र उर्फ देवकरण व पी ड 11 रणजीत** पक्षद्रोही घोषित हुये है जिन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन न्यायालय बयानों में नहीं किया है।

22. **पी ड 12 डा. शैलेन्द्र** ने बयान दिया कि उसने थानाधिकारी पुलिस थाना रींगस के प्रतिवेदन पर मजरूबान सुभाष, सुनिता, भंवरी, प्रेम के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्शपी 3, 4, 14, 16 बनाये तथा एक्सरे प्लेट प्रदर्शपी 13 व 15 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। यह साक्षी चिकित्साधिकारी है जिसने ने स्वयं द्वारा तैयार किये गये चोट प्रतिवेदन में अंकित चोटें मजरूबान के शरीर पर आने के तथ्य की पुष्टि की है।

23. प्रकरण में उपरोक्तानुसार आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण के आहतगण के साथ मारपीट किये जाने के सम्बन्ध में गवाहान की मौखिक कथनों की ताईद कार्यवाही पुलिस में अंकित कथनों से भी होती है तथा उक्त तथ्यों की ताईद पत्रावली पर उपलब्ध आहतगण के चोट प्रतिवेदनों से भी होती है जो घटना होने के दिन ही दिनांक 21.12.2015 को ही बनाये गये है। आहतगण के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि चिकित्साधिकारी डां. शैलेन्द्र की साक्ष्य से भी होती है जिसने मजरूबान के शरीर पर चोटें कुन्द हथियार से साधारण व गम्भीर प्रकृति की आना बताया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी आहतगण के चोटें कारित होने के तथ्य की ताईद होती है जिसकी पुष्टि कार्यवाही पुलिस में अंकित तथ्यों से भी हूबहू होती है। इसके अलावा अनुसंधान अधिकारी प्रेमसिंह ने बाद तफतीश अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित माना है। इसके अलावा नक्शे मौके के साक्षियों ने नक्शे मौके को बखूबी साबित किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित है कि अभियुक्तगण के द्वारा सुसंगत दिनांक, समय एवं स्थान पर परिवादी/मजरूबान बाबूलाल व अन्य को अपने गतंव्य स्थान की ओर जाते हुये को रोककर सदोष अवरोध कारित करते हुये मजरूबान सुभाष, सुनिता, भंवरीदेवी व प्रेम के साथ कुंद हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति व मजरूबान सुभाष व सुनिता के गम्भीर उपहति कारित की गई है।

24. अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि मजरूबान के शरीर पर आई चोटों के सम्बन्ध में गवाहों के बयानों में विरोधाभास है और ऐसी स्थिति में उनकी साक्ष्य पर विश्वास किया जाना न्यायसंगत नहीं है। इस संबंध में धारा-134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अवलोकन किया जावे तो उसमें यह उल्लेख है कि किसी मामले को साबित करने के लिए

साक्षियों की कोई विशिष्ठ संख्या अपेक्षित नहीं होगी और एक गवाह ही अपने मामले को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त होगा। चूंकि प्रकरण के परिवादी/मजरूबान के साथ मारपीट कर चोटें कारित किये जाने के तथ्य की पुष्टि परिवादी व अन्य साक्षियों ने अपनी अपनी साक्ष्य में की है तथा परिवादी साहित अन्य साक्षियों की साक्ष्य सटीक एवं विश्वसनीय प्रकृति है और उक्त साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवादी/मजरूबान के साथ अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट कर चोटें पहुंचाया जाना साबित है। हालांकि प्रकरण में कुछ साक्षीगण की साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है लेकिन प्रकरण के परिवादी सहित अन्य साक्षियों की साक्ष्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों के सम्बन्ध में ठोस एवं सुदृढ परिलक्षित होती है। ऐसी स्थिति में कुछ साक्षीगण के बयानों में तात्विक विरोधाभास होने मात्र से प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विपरीत प्रभाव पडने की सम्भावना नहीं है।

25. अभियुक्तगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रकरण में अधिकांश साक्षी हितबद्ध साक्षी है जिनकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर आई अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो यह सही है कि प्रकरण में अधिकांश साक्षी हितबद्ध साक्षी है, लेकिन वे हितबद्ध साक्षी घटना के समय मौके पर मौजूद रहे है तथा अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना अपनी आंखों से देखा गया है और उन हितबद्ध साक्षियों ने अपने अपने न्यायालय बयानों में घटना को हू-बहू कथित किया है तथा उनकी साक्ष्य सटीक एवं विश्वसनीय प्रकृति है। इसलिये उक्त साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में मौके के साक्षीगण यदि हितबद्ध साक्षी हो तो अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने के तथ्य को नकारा जाना न्यायोचित एवं तर्कसंगत नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण की ओर से दिया गया यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

26. अभियुक्तगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाई गई है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि यह सही है कि घटना दिनांक 21.12.2015 की है तथा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.12.2015 को दर्ज करवाई गई है। इस सम्बन्ध में परिवादी बाबूलाल ने स्पष्टीकरण दिया है कि रात्रि में ईलाज करवाने के कारण रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं आ सका। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाने का उचित कारण परिलक्षित होता है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में एक दिन का विलम्ब मात्र के आधार पर परिवादी/मजरूबान के साथ घटना होने व उनके चोटें कारित होने के तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को सन्देह से परे

प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

27. अतः अभियुक्तगण 1. प्रहलादराम पुत्र हनुमान उम्र 70 साल, 2. श्रवणीदेवी पत्नी प्रहलादराम उम्र 65 साल, निवासीगण लाखनी थाना रींगस जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(ममता रोहिला)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रींगस जिला-सीकर(राज.)

28. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्षकारान् को सुना गया। विद्वान् अभिभाषक अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है, लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत चुके है ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है। पूर्व में दोषसिद्ध नहीं होने व प्रकरण लम्बित नहीं होने बाबत् पृथक से शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाए जाने की प्रार्थना की। जबकि विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध करते हुए समुचित दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

29. उभय पक्षकारान् के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का पुनः आद्योपांत अनुशीलन व परिशीलन किया। अभियुक्तगण वर्ष 2016 से अन्वीक्षा की पीड़ा भोग चुके है। पूर्व में दोषसिद्धी बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है एवं प्रथम अपराध के क्रम में भी अभियुक्तगण द्वारा शपथ-पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण को तुरन्त कारावास से दण्डित किए जाने के जाने के बजाए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

30. अतः अभियुक्तगण 1. प्रहलादराम पुत्र हनुमान उम्र 70 साल, 2. श्रवणीदेवी पत्नी प्रहलादराम उम्र 65 साल, निवासीगण लाखनी थाना रींगस जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325 सपठित धारा 34 भादसं. के आरोप के तहत दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ इन शर्तों पर प्रदान किया जाता है कि अभियुक्तगण एक वर्ष की अवधि के 10 हजार रूपए की राशि का स्वयं का बंधपत्र इस आशय के पेश कर तस्दीक कराए कि वह उक्त अवधि के दौरान सदाचार व शांति बनाए रखेगा, उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा उक्त शर्तो के उल्लंघन पर दण्डादेश ग्रहण किए जाने हेतु न्यायालय जब भी बुलाएगा स्वयं न्यायालय में हाजिर हो जावेगा तो अभियुक्तगण

को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के प्रावधानों का लाभ दिया जावे। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत रूपये 2500/-, 2500/-रूपये कुल 5000 रूपये अभियोजन व्यय के अधिरोपित किए जाते हैं। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन व्यय की राशि जमा करवाये जाने पर मजरूबान सुभाष व सुनिता को 1500- 1500 रूपये व मजरूबान भंवरीदेवी व प्रेम को एक एक हजार रूपये बतौर क्षतिपूर्ति अदा करने के आदेश दिये जाते है। इस सम्बन्ध में परिवादी को तहरीर जारी हो।

31. साथ ही अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि उन्हें पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित नहीं किया गया है तथा परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया गया है।

(ममता रोहिला)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रींगस जिला-सीकर(राज.)

32. निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(ममता रोहिला)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रींगस जिला सीकर(राज.)